

भारत सरकार Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction, Services & Estate Management
प्रवर्तन अनुभाग Enforcement Section

वि. सा. भवन V.S. Bhavan,
अणुशक्तिनगर Anushakti Nagar,
मुंबई Mumbai 400 094.
Telephone:25487217/25487267

Ref: DCSEM/Enft/Circulars/2021

संदर्भ: निसेसंप्रनि/प्रवर्तन/परिपत्र/2021/443

September सितंबर 17, 2021

परिपत्र CIRCULAR

निदेशालय के ध्यान में यह लाया गया है कि अणुशक्तिनगर परिसर के अंदर स्थित प्ले पार्क में निषिद्ध/प्रतिबंधित गतिविधियां चल रही हैं। प्ले पार्क के निर्माण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों को खेलने के लिए जगह हो। पार्क और खेल के मैदान जैसी पर्यावरण संरचनाएं बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए खेल के मैदान/पार्कों में जाते समय सभी व्यक्तियों द्वारा पालन किए जाने वाले निम्नलिखित अनुदेश/दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। It has been brought to the notice of this Directorate that prohibited activities are being carried out in the play parks located inside Anushaktinagar premises. The main purpose of constructing play parks is to ensure that there is place for children to play. Environmental structures such as parks and playgrounds act as a platform for children to engage in physical activities. In view of the above, the following instructions/guidelines are issued to be followed by all individuals while visiting the play parks:

1. प्ले पार्कों के अंदर मादक पदार्थों को रखना/सेवन करना सख्त मना है। Possession or consumption of any kind of alcoholic beverage is strictly prohibited inside play parks.
2. पार्कों के अंदर तंबाकू, निकोटिन या तत् संबंधी पदार्थों को लाना सख्त मना है। Use of tobacco, nicotine, or related products inside parks are strictly prohibited.
3. वयस्कों को, बच्चों के लिए बने झूले और स्लाइड जैसे उपकरणों का उपयोग करने से बचना चाहिए। Adults should refrain from using the play equipments like swings and slides meant for children.
4. पार्क के अंदर एम्प्लीफाइड साउंड मशीन का उपयोग करने से बचना चाहिए। Refrain from using amplified sound devices inside the park.

निवासियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें, ऐसा न करने पर, ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। Residents are requested to strictly abide by the above guidelines failing which action as deemed fit will be taken against the individuals who are found indulging in such activities.

शैलजा प्रकासम
17/9/2021

(शैलजा प्रकासम Shailaja Prakasam)
मुख्य प्रशासन अधिकारी Chief Administrative Officer

प्रति To: सभी अनुरक्षण यूनिट : प्रदर्शित करने एवं व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए
All the Maintenance units – For Display and wide publicity.

प्रतिलिपि Copy To: मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अणुशक्तिनगर CSO, Anushaktinagar.